थाना बिल्हौर क्षेत्रान्तर्गत हत्या की घटना का सफल अनावरण

दिनांक 30/01.07.2024 की रात्रि में मृतक रामजी तिवारी पुत्र स्व0 श्री उमेश कुमार तिवारी निवासी ग्राम घिमऊ थाना बिल्हौर कानपुर नगर उम्र करीब 30 वर्ष अपने बरामदे में सो रहा था। जिसकी अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर के बरामदे में सोते समय सिर पर वार कर हत्या कर दी गयी थी। जिसके सम्बंध में थाना हाजा पर वादी मुकदमा श्री गणेश शंकर तिवारी पुत्र स्व0 श्री उमेश कुमार तिवारी नि0 ग्राम घिमऊ पोस्ट सैबसू थाना बिल्हौर जिला कानपुर नगर द्वारा **मु0अ0स0 196/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस** बनाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम महोदय के निर्देशन में **05 टीमों** का गठन किया गया था। घटना के अनावरण हेतु सभी सार्थक प्रयास किये गये। जिसके परिणामस्वरूप **अभियुक्त संस्कार तिवारी उर्फ शिवा तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी ग्राम घिमऊ थाना बिल्हौर कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष** का नाम प्रकाश में आया। अभियुक्त उपरोक्त को अथक प्रयास द्वारा **धौरसलार स्टेशन के पास, जीटी रोड** से गिरफ्तार किया गया। अभि0 संस्कार तिवारी उर्फ शिवा तिवारी उपरोक्त द्वारा मृतक रामजी तिवारी को मार्च 2024 से ही हत्या करने का प्रयास किया जा रहा था। परन्तु सही मौका नहीं मिल सका। अभियुक्त संस्कार तिवारी उर्फ शिवा तिवारी उपरोक्त कानपुर नगर में प्राइवेट जाब करता था। जिसकी जाब छूटने पर उसके द्वारा मृतक रामजी तिवारी से 10,000 रूपये की मांग की गयी मृतक द्वारा पैसे न देने तथा अभियुक्त को उसके व्यक्तिगत आचरणों के सम्बंध में टिप्पणी करने तथा गाली गलौज करने से क्षुब्द हो गया तथा उसकी हत्या करने की फिराक मे था। इसी क्रम में दिनांक 19.06.2024 को अभियुक्त द्वारा मृतक के घर में लगे कैमरे के डीवीआर से उसके प्लग (लीड) को अलग किया गया जिससे कि वह उसके द्वारा किये गये अपराध की कोई रिकार्डिंग न हो सके। घटना के दो दिन पहले भी अभियुक्त द्वारा बरामदे में सो रहे रामजी तिवारी की हत्या का प्रयास उसके पास जाकर किया गया

किन्तु किसी के जागने/आने की आहट से सफल न हो सका वापस चला गया। दिनांक 30.06.2024/01.07.2024 की रात्रि लगभग 02.30-3.00 बजे रामजी तिवारी के बरामदे में आकर सीमेंट से जुड़ी कई ईटो के बड़े टुकड़े (बोल्डर) से सिर में ताबड़तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गयी थी । अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बड़ी ईट को घटनास्थल के पास स्थित नाली से बरामद किया गया है मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर आलाकत्ल का निरीक्षण कराया गया जिस पर परीक्षण के दौरान आलाकत्ल पर मानव रक्त होना पाया गया। अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है थाना क्षेत्र की आम जनता में पुलिस के उपरोक्त कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

श्रीमान पुलिस उपायुक्त पश्चिम द्वारा उपरोक्त घटना के सफल अनावरण में शामिल टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रूपये पुरूस्कार की घोषणा की गयी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. संस्कार तिवारी उर्फ शिवा तिवारी पुत्र राजेश तिवारी निवासी ग्राम घिमऊ थाना बिल्हौर कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष

बरामदगी

1. बड़ी ईट का टुकड़ा खून से सना

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 196/2024 धारा 103(1) बी0एन0एस थाना बिल्हौर कमि0 कानपुर नगर

अभियुक्त को गिफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक केशव कुमार तिवारी
2. अति0 नि0 सतीश चन्द्र यादव
3. उ0नि0 राजपाल
4. उ0नि0 दिलीप कुमार
5. उ0नि0 अरविन्द कुमार
6. हे0कां0 2118 जयपाल
7. हे0कां0 1706 पुष्पेन्द्र सिंह
8. कां0 3354 धर्मपाल